व्यापार-तकनीक सहयोग पर फोकस

भारत-ईयू एफटीए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है : जयशंकर

ब्रसेल्स, 17 मार्च. भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की दिशा में अहम प्रगति देखने को मिली है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रसेल्स दौरे के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को केंद्र में रखा गया.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है और देश मजबूत व्यापारिक साझेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं. इस दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठकों में व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत-ईयू एफटीए दोनों पक्षों के लिए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है और यह साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा. जयशंकर ने कहा कि एफटीए को अंतिम रूप देना भारत-ईयू संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो न केवल आर्थिक क्षमता को उजागर करेगा बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी गहराई देगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एफटीए के

> टैलेंट मोबिलिटी और स्किल्स के आदान-प्रदान को भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा बताया गया. भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को बढ़ावा देने और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने तथा सूचना सुरक्षा समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया.

लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए दोनों पक्षों को व्यावहारिक कदम उठाने होंगे. इसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत करना शामिल है.

रुपया दो पैसे हुआ मजबूत

मुंबई, 17 मार्च. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 1.75 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 92.2825 रुपये का बोला गया. पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 92.30 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही थी. रुपये में आज उतार-चढ़ाव रहा. यह 14 पैसे लुढ़ककर 92.44 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और दोपहर से पहले 92.4750 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था. कारोबारियों ने बताया कि निजी और सार्वजनिक बैंकों की डॉलर खरीद बढ़ाने से भारतीय मुद्रा को मजबूती मिली और कारोबार की समाप्ति पर यह 92.2825 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुई. भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव रहा.

अहमदाबाद मंडल में 'कवच 4.0' का विस्तार तेज

- सुरक्षित रेल संचालन की ओर बड़ा कदम
- कई सेक्शनों में इंस्टॉलेशन कार्य जारी
- इंजनों में तेजी से लग रही कवच प्रणाली

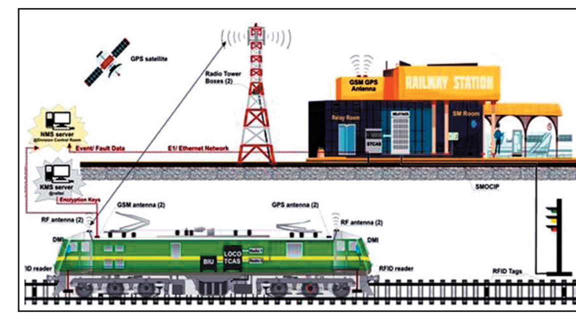

अहमदाबाद, 17 मार्च. भारतीय रेलवे की उन्नत स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' का विस्तार अहमदाबाद रेल मंडल में तेजी से किया जा रहा है. यह प्रणाली ट्रेन संचालन को सुरक्षित, नियंत्रित और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है.

कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो लोको पायलट को गति सीमा का पालन करने में मदद करती है. आवश्यकता पड़ने पर यह स्वत: ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटनाओं को रोकती है. इसमें ऋ्रन्डुष्ठ तकनीक के जरिए ट्रेन की सटीक लोकेशन और सिग्नल की जानकारी मिलती है.

अहमदाबाद मंडल में वटवा लोको शेड के 180 इंजनों में से 72 में कवच लगाया जा चुका है, जबकि साबरमती शेड में 34 में से 6 इंजनों पर कार्य पूरा हो चुका है. ट्रैक स्तर पर अहमदाबाद-पालनपुर, सामाख्याली और गांधीधाम सेक्शनों में सैकड़ों किलोमीटर पर इंस्टॉलेशन कार्य जारी है.

हाल ही में गांधीनगर कैपिटल-कलोल सेक्शन पर सफल ट्रायल में सिस्टम ने दो ट्रेनों के पास आने पर स्वत: ब्रेक लगाकर टक्कर टाल दी. रेलवे के अनुसार, देशभर में भी कवच 4.0 का विस्तार तेजी से हो रहा है. यह तकनीक भविष्य में रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरू की यूपीआई कैश विड्रॉल सेवा

मुंबई. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने यूपीआई आधारित कैश विदड्रॉल सेवा शुरू करने की घोषणा की है. जिसके तहत ग्राहक अब बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट टचपॉइंट्स पर कोड स्कैन कर नकद निकाल सकेंगे. मतलब बिना डेबिट कार्ड और पारंपरिक एटीएम होने के बाद भी ग्राहक अपना पैसा निकाल सकेंगे. बैंक के अनुसार, नई सेवा खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जहां ऋरू पहुंच सीमित है. ग्राहक अपने ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर आसानी से नकद प्राप्त कर सकेंगे. जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा डिजिटल भुगतान और नकद उपयोग के बीच की दूरी को कम करेगी तथा पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सहायक वातावरण में यूपीआई अनुभव प्रदान करेगी.

नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 सम्मान

भुवनेश्वर, 17 मार्च। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी को मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 दिया गया। यह अवॉर्ड श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहन मुनासिंघे ने आइआइटी, केआईएसएस और केआईएमएस के फाउंडर डॉ. अच्युत सामंत की मौजूदगी में दिया। इंस्टीट्यूशन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और जाने-माने लोग इस फंक्शन में शामिल हुए।

इस अवॉर्ड में श्रीमती अंबानी के बेहतरीन मानवीय कामों और रिलायंस फाउंडेशन के ज़रिए शिक्षा, हेल्थकेयर, गांवों में बदलाव, महिलाओं को मज़बूत बनाने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के ज़रिए सामाजिक विकास में उनके अहम योगदान को पहचान दी गई। अपनी स्पीच में, श्रीमती अंबानी ने कहा कि डॉ. सामंत ने शिक्षा के दो मॉडर्न मंदिर बनाए हैं - आइआइटी और केआईएसएस ये दोनों इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए गर्व की बात हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड पाकर गर्व महसूस हो रहा है और कहा कि यह सम्मान सिर्फ़ उनका नहीं, बल्कि रिलायंस फाउंडेशन की पूरी टीम का है। केआईएसएस के 40,000 स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, आपने मुझे यहां जो प्यार और स्नेह दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है और जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को सलाह देते हुए उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है, आपका आखिरी गोल नहीं। आपको बड़े सपने देखने चाहिए, और उन सपनों को पाने के लिए आपको लगन से कड़ी मेहनत करनी होगी।

> उन्होंने आगे कहा कि के आइआइटी और केआईएसएस, इन दो शानदार इंस्टीट्यूशन्स में आना उनके लिए सच में एक गर्व की बात थी। उन्होंने कहा कि वह भगवान जगन्नाथ की पवित्र धरती पर आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा का कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ बहुत रिच हैं, और ओडिशा के लोगों का नेचर के साथ गहरा और मज़बूत कनेक्शन है।

चीन से व्यापार घाटा 9.5 लाख करोड़ के करीब

नई दिल्ली. भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है—तेजी से बढ़ता व्यापार घाटा. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर (करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये) के करीब पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. सरल शब्दों में कहें तो भारत चीन से जितना सामान खरीद रहा है, उसके मुकाबले बहुत कम सामान बेच पा रहा है. यही अंतर व्यापार घाटा कहलाता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन आयात इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुल घाटा कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है. अगर आसान भाषा में समझें, तो व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश जितना सामान विदेश से खरीदता है (आयात), उससे कम बेचता है (निर्यात). भारत और चीन के मामले में यही स्थिति लगातार गहराती जा रही है.

फरवरी में निर्यात सालाना घटकर 36.61 अरब डॉलर

नई दिल्ली, 17 मार्च. सालाना आधार पर फरवरी में निर्यात घटकर 36.61 अरब डॉलर रह गया जबकि मासिक आधार पर इसमें वृद्धि हुई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि फरवरी 2025 में माल निर्यात 36.91 अरब डॉलर और जनवरी 2026 में 36.56 अरब डॉलर रहा था.

जारी आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सोने के आयात में बड़े उछाल के कारण फरवरी में माल आयात एक साल पहले के 51.33 अरब डॉलर से बढ़कर 63.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस प्रकार वस्तु व्यापार घाटा लगभग दोगुना होकर 27.10 अरब डॉलर पर पहुंच गया. फरवरी 2025 में यह 14.32 अरब डॉलर रहा था. फरवरी में 12.97 अरब डॉलर के कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात किया गया जो सालाना आधार पर 9.08 प्रतिशत अधिक है. सोने का आयात 218.55 फीसदी बढ़कर 7.45 अरब डॉलर और चांदी का 285.23 प्रतिशत बढ़कर 1.66 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री नीलेश चमार श्री शोभा, श्रीमती वन्दना अहिरवार श्रीमती विनीता चमार (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10698144)	संपत्ति का क्षेत्रफल खसरा संख्या 65/2 है, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवोरी में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 900.00, 692.00, 550.00	रू. 273939/- दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ उनचालीस मात्र	04-11-2025	13/03/2026
श्री अभिषेक कुर्मी श्रीमती दासोदा कुर्मी तेजा किराना एवं साईकल स्टोर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10298259)	पटवारी हल्का क्रमांक 31, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, खसरा क्रमांक 242 में स्थित, पिपरिया गोपाल, गढ़कोटा, तहसील और जिला-सागर, मध्य प्रदेश, पिन क्रमांक 470232 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 900.00, 650.00, 767.00	रू. 463049/- चार लाख तिरेसठ हजार उन्नचास मात्र	15-09-2025	14/03/2026
श्री प्रकाश पाल, कुंज ऑटो पार्ट्स, और दुलाई सेंटर, श्रीमती सरस्वती बाई पाल (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10406114)	1200 वर्ग फुट का भूभाग, खसरा संख्या 289, स्थित ग्राम उमरी, गुना, मध्य प्रदेश- 473105 - भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूभाग, निर्मित क्षेत्र क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 1200.00, 606.00, 485.00	रू. 515911/- पाँच लाख पंद्राह हजार नौ सौ ग्यारह मात्र	12-06-2025	13/03/2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालयः 183, प्रथम मंजिल, सोनी भवन, एमपी नगर जोन II, भोपाल या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा पर संपर्क करें।

स्थानः भोपाल
दिनांकः 18.03.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

पीएमएमवाई से करोड़ों को मिला कारोबार का मौका : सीतारमण

> मुद्रा योजना से छोटे उद्यमी सशक्त, बिना गारंटी लोन
>
> देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है

नई दिल्ली, 17 मार्च. छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता को आसान बनाने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अहम भूमिका निभा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इस योजना की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि बिना गारंटी लोन की सुविधा ने लाखों लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने का अवसर दिया है.

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यह योजना खासतौर पर गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. योजना के तहत शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में अलग-अलग जरूरतों के अनुसार लोन दिया जाता है, जिससे शुरुआती स्तर से लेकर विस्तार कर रहे व्यवसायों तक सभी को मदद मिलती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उपलब्धियों और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह योजना देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन प्रमुख श्रेणियां—शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपये तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक)—विभिन्न चरणों के व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करती हैं. यह संरचना नए उद्यमियों को शुरुआत करने से लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने तक निरंतर सहयोग प्रदान करती है. 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लोन रिकवरी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. शिशु श्रेणी में गैर-निष्पादित संपत्तियां 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत दर्ज की गई हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	144935970	होम लोन	14.02.2026	7,08,139.18/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. देवेन्द्र रघुवंशी 2. शिवम रघुवंशी 3. चन्द्रवती रघुवंशी

संपत्ति का पताः वह भूखंड/संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 1804 वर्ग फुट और निर्मित क्षेत्र (ग्राम प्रादेशिक, आर.सी.सी.सी. सहित) कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट है, जो आबादी सर्वे संख्या 208, पीएच नं. 68, ग्रामः तोरिया, ग्राम पंचायतः तोरिया, पोस्टः मावन, तहसील और जिलाः गुना, मध्य प्रदेश-473001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में महेंद्र सिंह रघुवंशी का वाडा, पश्चिम में सड़क, उत्तर में मनोज शर्मा का वाडा, दक्षिण में सुरेंद्र रघुवंशी का घर

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	138615012	संपत्ति के बदले ऋण	04.02.2026	8,59,788.90/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. मोहन सिंह यादव 2. कमल बाई

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश 473110, जिला गुना, तहसील राघोगढ़, पोस्ट रुथियाल, उमरिया गांव में स्थित मौजूदा भवन के लेआउट प्लान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका सर्वे नंबर 35, मकान नंबर 5/जीए, पीएच नं. 03 है, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 13856 वर्ग फुट है, निर्मित क्षेत्र (आरसीसी) कुल क्षेत्रफल 290 वर्ग फुट है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में नंदराम की भूमि, दक्षिण में सड़क, पूर्व में सड़क और पश्चिम में जगदीश यादव की भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	138480818	होम लोन	27.12.2025	8,10,497.66/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1.नरेंद्र मीना C/O राधेश्याम मीना, 2. दुलारी बाई मीना C/O सयाम मीना 3.राजू राधेश्याम C/O राधेश्याम मीना

संपत्ति का पताः सर्वे संख्या 81, पी.एच. संख्या 75, कुल प्लॉट क्षेत्रफल और निर्मित क्षेत्रफल 4284 वर्ग फुट, ग्राम रिहाना, ग्राम पंचायत खड़गपुर, पोस्ट खड़गपुर, तहसील बामोरी, गुना, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः सरदार सिंह की भूमि, पूर्वः सरदार सिंह की भूमि, पश्चिमः गजानंद मीना का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 18.03.2026
स्थानः मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

बिक्री/ई-नीलामी नोटिस

आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में

CIN: U45201MP1999PTC013634
पंजीकृत पताः TF-03, ब्लॉक नंबर-03, प्लॉट नंबर-7 महेंद्र बिजनेस स्क्वायर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039
कंपनी परिसमापन के तहत माननीय NCLT आदेश दिनांक 22.05.2024 के तहत IA-12/2024 Liq और C.P. (IB)/353/PB/2022.

कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को 'संपत्तियों के सेट के रूप में सामूहिक रूप से' बेचा जा रहा है, जैसा कि विनियमन 32 के उपखंड (c), विनियमन 33 की उप-विनियमन (1) और भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची । में निर्दिष्ट है, जिसके तहत लिक्विडेटर श्री कुलदीप टांक को माननीय **NCLT Principal Bench** द्वारा दिनांक 04.12.2024 के इसके आदेश सं. **IA-5688/2024, C.P. (IB)-353(PB)/2022** के तहत नियुक्त किया गया। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से की गई।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
		ब्लॉक-A से D: संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का (विनियमन 32(c) के तहत)
1.	बिक्री नोटिस और ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि	18/03/2026
2.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा 29ए पात्रता दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बोली आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	18/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 02/04/2026 दोपहर 01:00 बजे तक
3.	नीलामी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निरीक्षण या यथोचित परिश्रम की तिथि और समय (पूर्व नियुक्ति के साथ)	18/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 01/04/2026 शाम 05:00 बजे तक
4.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा करने की तिथि और समय	19/03/2026 सुबह 11:00 बजे से 02/04/2026 दोपहर 01:00 बजे तक
5.	नीलामी की तिथि और समय	शनिवार, 04/04/2026 दोपहर 03:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)
6.	उच्चतम बोलीदाता की घोषणा	06/04/2026
7.	सफल बोलीदाता की घोषणा	संभावित रूप से 09/04/2026
8.	परिसमापक का पता और ईमेल	202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001 ibduniversal21@gmail.com

ब्लॉक-A से D:

आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 32(c) के तहत सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का सेट (विनियमन 32(c) के तहत) जिसमें भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जहां है जैसा है, जो भी है आधार पर और बिना किसी सहारे के आधार पर आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, परिसमापन में ("कॉर्पोरेट देनदार") परिसंपत्तियों की बिक्री

ब्लॉक	आस्तियों का विवरण	नीलामी का तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु.	ईएमडी रु.	बोली वृद्धि राशि रु.
A	आईबीडी रॉयल सिटी, ग्राम - रायपुर, तहसील और जिला- होशंगाबाद (नर्मदापुरम)- 461001 पर प्लॉटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)	शनिवार 04/04/2026 दोपहर 03:00 तक से सायं 06:00 तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)	2,54,71,637	25,47,163	5,00,000
B	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में ब्लॉक C के अलावा कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		6,57,79,349	65,77,934	10,00,000
C	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में 25 (1862.79 वर्ग मीटर) आंशिक रूप से पूर्ण/लगभग पूर्ण फ्लैटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		2,53,69,329	25,36,932	5,00,000
D	कॉर्पोरेट देनदार की सभी सुरक्षा और वित्तीय संपत्तियाँ। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		1,29,35,111	12,93,511	5,00,000

आरक्षित मूल्य में कर, जीएसटी, टीडीएस, शुल्क, प्रभार, शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम आदि शामिल नहीं हैं वारंटी और क्षतिपूर्ति के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। सहायता के लिए संपर्क करें: support.baanknet@psballiance.com / मोबाइल नंबर 91 8291220220
2. परिसमापक का संपर्क विवरणः श्री कुलदीप टाँक ईमेलः ibduniversal21@gmail.com संपर्क नंबर 9826677735
3. संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचनबद्धता फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/ पर उपलब्ध हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, अन्य, यदि कोई हो, स्थानीय प्रशासन के बकाए आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और उपरोक्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर यदि कोई हस्तांतरण शुल्क होगा तो उसे वहन करेंगे और अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करेंगे और खुद को संतुष्ट करेंगे। ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट पर परिसमापक और उसकी टीम से संपर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है।
5. ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, और ब्लॉक D, की नीलामी सामूहिक रूप से एक ब्लॉक में सभी संपत्तियों के लिए होगी।
6. बिक्री नोटिस को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए और साथ ही उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत होना चाहिए जो https://ibbi.baanknet.com पर उपलब्ध है।
7. संभावित बोलीदाता केवल बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (EMD) जमा करेगा।
8. संभावित बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
9. **यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, जिसमें उपरोक्त क्रमांक 8 के तहत उल्लिखित बोलीदाता भी शामिल है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।**
10. यदि परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उच्चतम बोलीदाता को अयोग्य पाते हुए अस्वीकार कर देता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से विनियमों के खंड (12ए) से खंड (12ई) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
11. सफल बोलीदाता को लागू स्टाम्प शुल्क/लीज हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी स्थानीय कर, शुल्क, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस, रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। नीलामी में रखी गई संपत्ति के संबंध में।
12. ई-नीलामी "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर तथा "बिना किसी सहायता के" https://ibbi.baanknet.com. पर अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
13. बिक्री ई-नीलामी के दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन सेवाप्रदाता की वेबसाईट पर किया जायेगा।

कुलदीप टाँक
मैसर्स आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक
(परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02776/2022-2023/14255
ई-मेल आईडीः ibduniversal21@gmail.com
AFA 30.06.2026 तक वैध
पताः 202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001
दिनांकः 18.03.2026, **स्थानः** इंदौर

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इंडिया लिमिटेड का उपक्रम)

सूचना

एसईसीएल द्वारा सामग्रियों, कार्यों एवं सेवाओं की खरीद के लिए जारी निविदाऐं एसईसीएल की वेबसाईट http://www.secl-cil.in, कोल इंण्डिया के ई-प्रोक्यूमेंट पोर्टल http://coalindiatenders.nic.in और सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल http://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीदी का कार्य किया जाता है। एसईसीएल के माईनिंग सर्विसेस की निविदायें भी अब जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in पर उपलब्ध हैं।

PUBLIC NOTICE

NISSAN MOTOR INDIA PVT. LTD.

The present publication is being issued on behalf of M/s Nissan Motor India Private Limited **("NMIPL")** to state that **Sohum Vehicles LLP (Sohum Nissan)** has ceased to be an Authorised Dealer of NMIPL on 1st February 2026 at the following showroom & workshop location-

1. Showroom (Dealer Code - BH5A): Khasra No 435/2/205, village bawadiya kalan, Hoshangabad Road Bhopal-462026, Madhya Pradesh.
2. Workshop (Dealer Code - BH5B): Khasra No 79/10/4/1, Near Little Flower School, Village Misrod, Bhopal-462043, Madhya Pradesh

and has no right to accept any fresh bookings henceforth including the vehicles already available in the dealership stock.

It is further informed that NMIPL has no connection whatsoever with any fresh bookings offered at the aforementioned location by Sohum Nissan. Any person or entity making any fresh bookings for selling Nissan vehicles or servicing the same with Sohum Nissan at the above mentioned location will be doing so at their own risk with no claims against NMIPL.

This information is issued in the interest of General Public.

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
Office of The Dy. General Manager (STM-STC) Dn. O&M Circle, M'deep, Budni, Bhairunda
NIT No:- DGM/STM-STC/MBB/Tender/2025-26/2730 Date : 17.03.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders are invited from eligible bidders for following works.

Tender Notice Number	Particulars	Approx. Value (In Lakh)	Tender Document Fee
2729/01 Dt. 17.03.2026	11 kv Bifurcation Tigali AGR feeder Seelkanth S/s Under Bhairunda D/c under Bhairunda Dn.	9.71	1000+GST @ 18%
2729/02 Dt. 17.03.2026	11 kv Bifurcation Rujankhedi AGR feeder Seelkanth S/s Under Bhairunda D/c under Bhairunda Dn.	6.35	1000+GST @ 18%

Bid Download Start/End Date & Time : 17.03.2026, 16:00 Hrs. up to 24.03.2026, 15:30 Hrs.
Online Bid Submission End Date & Time : 24.03.2026, up to 15:30 Hrs.
Online Tender Opening Date & Time : 25.03.2026 at 15:30 Hrs.
Other details, terms and conditions are available on company **website : https://portal.mpcz.in & https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/124957/2026 **D.G.M. (STM-STC)**